प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बिजनौर, बदांयू, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झाँसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संतकबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2017–18 / 5245-60 **दिनांक** 25 **/ 08 / 2017**

विषय–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालयों में एस0एन0सी0यू0 को क्रियाशील बनाये रखने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के चयनित जनपदों के जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालयों में सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) चरणवद्ध रूप से क्रियाशील की गयी हैं। यह इकाईयां चिकित्सालयों का अभिन्न अंग है।

इसी क्रम में **इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2016–17 / 6209–18, दिनांक 07.10.2016 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2016–17 / 6210–46, दिनांक 07.10.2016** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्रों के माध्यम से सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) के संचालन हेतु आपरेशनल कास्ट, एस0एन0 सी0यू0, डाटा मैनेजमेन्ट एवं संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गये थे।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 में सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) को क्रियाशील बनाये रखने हेतु आपरेशनल कास्ट, एस0एन0सी0यू0, डाटा मैनेजमेन्ट एवं मानव संसाधन के मानदेय के लिए **अनुमोदित धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार जनपदो की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है।**

<u>वित्त पोषण</u>

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 में स्वीकृत की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाये।

<u>01–ऑपरेशनल कॉस्ट–</u>

FMR Code-A.2.2.1 पर ऑपरेशनल कॉस्ट की धनराशि का **60 प्रतिशत** औषधियों, कन्जूमेबिल्स, डायपर, न्यूट्रीशनल सप्लीमेन्ट के रूप में उपयोग किये जाने हेतु शिशु मिल्क पाउडर (**<u>Govt. of india FBNC Operational Guidelines के अनुसार</u>**) कंगारू मदर केयर (KMC) इकाई हेतु आवश्यक सामग्री आदि **तथा 40 प्रतिशत धनराशि से** ए0एम0सी0 एवं उपकरणों के अनुरक्षण एवं इकाई को क्रियाशील बनाये रखने हेतु छोटे–मोटे उपकरण के क्रय एवं अन्य आवश्यक सामग्री **<u>एस0एन0सी0यू0 इन्चार्ज की आवश्यकतानुसार</u>** क्रय किये जायें **प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका** द्वारा बिना इनकी लिखित परामर्श के धनराशि का उपयोग न किया जाये। ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।**

02– एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट

FMR Code-A.2.2.1.1 पर **एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट** हेतु क्रियाशील/क्रियाशील की जा रही 56 इकाईयों में एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट हेतु प्रति इकाई हेतु रू0 1,60,000/– प्रति इकाई की दर से स्वीकृत की गयी है एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।**

- **एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट गतिविधि** हेतु प्रति इकाई हेतु रू0 60,000/– की धनराशि के अनुसार जिसे कम्प्यूटर सम्बन्धी स्टेशनरी, प्रिन्टर कार्टेज, पेपर रिम, इन्टरनेट एवं मोबाइल का मासिक व्यय कम्प्यूटर प्रिन्टर का रख–रखाव की व्यवस्था इत्यादि हेतु व्यय किया जायेगा।
- **एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट गतिविधि** हेतु Printing cost for SNCU stationery & Case Recording format हेतु रू0 1,00,000/– की धनराशि प्रति इकाई के अनुसार अवमुक्त की जा रही है। इस धनराशि से इकाई में मरीजों के उपयोग होने वाले प्रपत्र जैसे Case Record, Monitoring sheet/ treatment & discharge भारत सरकार से प्राप्त प्रपत्र के अनुसार प्रिन्ट कराने के लिये उपयोग की जायेगी।
- **<u>इकाई के अभिलेखों का रखरखाव एवं रिपोर्टिंग–</u>**

❖ एस0एन0सी0यू0 से शिशु की जाने पर यथा परिस्थिति अभिलेख दिये जायें। जैसे छुट्टी पर डिस्चार्ज कार्ड, संदर्भन पर रेफरल स्लिप, मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र एवं लामा (LAMA) होने पर लामा कार्ड (डिस्चार्ज कार्ड पर ही ऊपर लामा कार्ड लिखा जाये) देना सुनिश्चित करें।

❖ एस0एन0सी0यू0 में एक मोबाइल की व्यवस्था रखे जिसका नंबर सिटीजन चार्टर (Citizen charter) पर अंकित रहे छुट्टी उपरान्त यही नंबर शिशु के छुट्टी कार्ड पर लिखा जाये ताकि आवश्यकता पड़ने पर एस0एन0सी0यू0 में फोन कर सके। यही नंबर स्थानीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों, ए0एन0एम0 एवं आशाओं को उपलब्ध कराया जाये।

❖ ए0एन0एम0 एवं आशाओं द्वारा संदर्भित शिशु की समस्त सूचना एवं रिकॉर्ड, एस0एन0सी0यू0 में भर्ती रजिस्टर में रखा जाये। जिसे रजिस्टर के कॉलम नंबर 12 (Name of ASHA/ANM with Contact details) में अंकित किये जाये।

03– मानव संसाधन–

- **एस0एन0सी0यू0 में FMR Code-B.30.9.1 पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय के संविदा बालरोग विशेषज्ञों–एम0डी0–पिडियाट्रिक्स/डी0सी0एच0** हेतु प्रति इकाई 03 **बालरोग विशेषज्ञ पूर्व से कार्यरत 27 बालरोग विशेषज्ञों का मानदेय** प्रति **बालरोग विशेषज्ञ** को रू0 78650/– प्रतिमाह की दर से 04 माह का मानदेय तथा शेष 177 **बालरोग विशेषज्ञों के रिक्त पदों हेतु, प्रति बालरोग विशेषज्ञ को रू0 71500/– प्रति माह की दर से 03 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। बालरोग विशेषज्ञों के मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।**
- एस0एन0सी0यू0 में **FMR Code-B.30.9.3** पर **जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में संविदा** स्टॉफ नर्स **प्रति इकाई 8 स्टाफ नर्स,** पूर्व से कार्यरत 467 स्टाफ नर्सों का मानदेय प्रति स्टाफ नर्स को **रू0 20012/–** प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय **तथा शेष** 81 स्टाफ नर्सों को प्रति स्टाफ नर्स को **रू0 18150/–** प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। स्टाफ नर्सों के मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।**
- एस0एन0सी0यू0 में **FMR Code-B.30.9.4** पर **जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में डाटा इन्ट्री आपरेटर– <u>(आउट सोर्सिंग के माध्यम से)</u> प्रति इकाई 1 डाटा इन्ट्री आपरेटर, 68** डाटा इन्ट्री आपरेटर **के** मानदेय, प्रति डाटा इन्ट्री आपरेटर को रू0 12000/– प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। डाटा इन्ट्री आपरेटर के मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।**

- **एस0एन0सी0यू0 में FMR Code-B.30.9.4 पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में सफाई कर्मी/वार्ड आया <u>(आउट सोर्सिगं के माध्यम से)</u> प्रति इकाई 03 वार्ड आय एवं 03 सफाई कर्मी पदों** हेतु 204 सफाई कर्मी एवं 204 वार्ड आया, प्रति वार्ड आया/सफाई कर्मी को रू0 7500/– प्रतिमाह की दर से 04 माह का मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। वार्ड आय एवं सफाई कर्मी के मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।**
- **एस0एन0सी0यू0 में FMR Code-B.30.9.4 पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में सिक्युरटी गार्ड <u>(आउट सोर्सिगं के माध्यम से)</u> प्रति इकाई 03** सिक्युरटी गार्ड के 204 सिक्युरटी गार्ड के पदों हेतु प्रति सिक्युरटी गार्ड को रू0 7500/– प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। सिक्युरटी गार्ड के मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी**

<u>**मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवटिंत धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों को अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।**</u>

<u>नोटः–</u>

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये **प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय,** एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. <u>प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।</u>
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0 एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि

समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

04– संविदा मानव संसाधन हेतु निर्देश–

- **एस0एन0सी0यू0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाय।** यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित **प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका**/नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- एस0एन0सी0यू0 पर तैनात स्टाफ नर्सों एवं पीडियाट्रीशिन, जिन्होंने पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, को 4 दिवसीय फेसिलटीबेस्ड न्यूबोर्न केयर (FBNC) प्रशिक्षण तदोपरान्त 12 कार्य दिवसीय Observership-FBNC प्रशिक्षण कलावती सरण चिल्ड्रेन हॉस्पिटल दिल्ली/अन्य समकक्ष चिन्हित चिकित्सालय में दिया जाना प्रस्तावित है।
- यह प्रशिक्षण स्टाफ नर्सों एवं पीडियाट्रीशिन को प्राप्त करना अनिवार्य है। जब प्रशिक्षण हेतु पत्र राज्य स्तर से भेजा जायेगा, स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करना होगा। नामांकन आदेश के उपरान्त यदि स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे **तो ऐसी स्थिति में शासनादेश सख्या–3033/सेक–2– पांच–14–7(56)/14 T.C., दिनांक 09.10.2014 के संदर्भ में उस अवधि का वेतन रोका जा सकता है।**
- **यह सुनिश्चित किया जाय कि स्टाफ नर्स/चिकित्सक अपने ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस में कार्य करें।**

05– प्रसव कक्ष में बालरोग बिशेषज्ञ/नोडल अधिकारी एस0एन0सी0यू0 के दायित्व–

- न्यूबोर्न केयर कार्नर की क्रियाशीलता सुनिश्चित करना।
- चिकित्सालय में जन्मे सभी शिशुओं की 01 घंटे के भीतर वजन एवं Inj. Vit K लगवाना।
- सभी जन्मे शिशुओं को 01 घंटे के भीतर स्तनपान करवाना।
- सभी जन्मे शिशुओं की 24 घंटे के भीतर स्क्रीनिंग (for birth defects and anthropometry) हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/आर0बी0एस0के0/01/2016–17/10740–8, दिनांक 14.03.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
- समय समय पर समस्त लेबर रूम स्टाफ की क्षमतावृद्धि हेतु Essential Newborn care/NSSK के सम्बन्ध में ओरिएंटेशन करना।

06– डाटा इन्ट्री आपरेटर के कार्य एवं दायित्व–

- भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद के जिला महिला चिकित्सालय में संचालित सिक न्यूबोर्न इकाईयों (SNCUs) में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा यदि जनपद के जिला पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय में पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRCs) संचालित है तो इस इकाई की रिपोर्टिगं का भी कार्य किया जायेगा तथा Data की online फीडिगं करेगें तथा इकाई की Database का रखरखाव, इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों की इकाईयों में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर सहयोग प्रदान करेगें एवं समय–समय पर राज्य स्तर से जारी निर्देशानुसार कार्य करेंगे।
- **डाटा इन्ट्री आपरेटर से एस0एन0सी0यू0 एवं एन0आर0सी0 इकाई मे ही कार्य लिया जाये एवं अन्य कार्यों से विमुक्त रखा जाये।**

07– सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) के संविदा मानव संसाधन के भर्ती/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्देश–

- **वित्तीय वर्ष 2017–18 में एस0एन0सी0यू0 में बालरोग विशेषज्ञों एवं स्टाफ नर्सों के रिक्त पदों की भर्ती हेतु मानव संसाधन अनुभाग, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार नियुक्ति की जायेगी।**

Aln

- **<u>डाटाइन्ट्री आपरेटर (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)</u>**– भारत सरकार द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में डाटा इन्ट्री आपरेटर के रिक्त पद पर आउट सोर्सिगं के माध्यम से रखे जाने है। डाटा इन्ट्री आपरेटर का मानदेय रू0 12000/– प्रति माह की दर से देय होगा। जिसकी शैक्षिक योग्यता स्नातक पास एवं कम्प्यूटर में ओ0–लेवल डिप्लोमा या एक वर्षीय कम्प्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र (one year certificate course computer application or O- Level Computer Diploma) अनिवार्य है, कम से कम दो साल के अनुभव वाले अभ्यार्थी को वरीयता दी जायेगी।
- **<u>सफाई कर्मी/वार्ड आया (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)</u>**– जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) पर सफाई कर्मी/वार्ड आया/सिक्युरटी गार्ड को आउट सोर्सिगं के माध्यम से रखा जायेगा। प्रति इकाई **3** सफाई कर्मी, प्रति इकाई **3** वार्ड आया, प्रति इकाई **3 सिक्युरटी गार्ड** की तैनाती की जायेगी जिनका मानदेय प्रति रू0 7500/– प्रतिमाह की दर से देय होगा।

<u>08– एस0एन0सी0यू0 प्रोटोकाल–</u>

- एस0एन0सी0यू0 में मानकानुसार सेवा उपलब्ध कराने हेतु FBNC operational Guidelines का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
- इकाई में प्राथमिकता के आधार पर Preterm & LBW शिशुओं की भर्ती करें एवं Term शिशु की भर्ती आवश्यकतानुसार करें।
- इकाई में कम से कम 30 प्रतिशत संदर्भित (outborn) बीमार नवजात शिशुओं को भर्ती करें।
- शिशुओं को भर्ती करने के समय ही ID band अवश्य पहनाये।
- एस0एन0सी0यू0 में आवश्यक कंज्यूमेब्लिस की उपलब्धता सुनिश्चित करना नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी की होगी।
- एस0एन0सी0यू0 की सिस्टर इन्चार्ज को एस0एन0सी0यू0 के स्टाफ में से ही एक स्टाफ नर्स को चयनित कर Rotatory basis पर प्रमुख सिस्टर इन्चार्ज के अधीन अपनी कर्तव्य का निवर्हन करेगी।
- डयूटी के समय एस0एन0सी0यू0 स्टाफ अपनी निर्धारित ड्रेस में रहें।
- भर्ती शिशु की देखभाल में माँ को शामिल करने हेतु माँ को समय समय पर एस0एन0सी0यू0 में आने के लिए प्रेरित करें तथा सुनिशचित करे की माँ एस0एन0सी0यू0 में प्रवेश से पूर्व साफ सफाई के मानकों का पूरा ध्यान रखे। (Jewellary removal, hand wash, gowning and use slipper)
- छुटटी से पूर्व शिशु को माँ के साथ कम से कम 24 घंटे हेतु Stepdown बेड में स्थानान्तरित करें Stepdown के लिए उपयुक्त स्थान न होने की दशा में PNC वार्ड में 04 शैय्याओं को को Stepdown हेतु चिन्हित किया जाये निजिता बनाये रखे के लिए स्क्रीन का उपयोग करें।
- सभी स्थिर कम वजन के नवजात शिशुओं दीर्घ अवधि की के0एम0सी0 के लिए प्रेरित करना एवं जानकारी देने का दायित्व एस0एन0सी0यू0 के चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स का है।
- पी0एन0सी0 वार्ड के कम वजन के नवजात शिशुओं को एस0एन0सी0यू0 में भर्ती की आवश्यकता नहीं है, उन नवजात शिशुओं को वार्ड में ही के0एम0सी0 के सम्बन्ध में जानकारी देकर के0एम0सी0 देने में उनकी सहायता करें।
- यदि आपके चिकित्सालय में के0एम0सी0 कक्ष स्थापित नहीं है तो एस0एन0सी0यू0 के निकट ऐसे प्रथक कक्ष या स्थान सुनिश्चित करें जहाँ पर निजिता का पूरा ध्यान रखा जा सके।
- बीमार एवं क्रिटिकल शिशु के स्वास्थ्य अनुसार अल्प अवधि के0एम0सी0 शुरू करते हुये धीरे–धीरे दीर्घ अवधि की के0एम0सी0 का लक्ष्य रखे।
- अन्य चिकित्सालयों या मेडिकल कॉलेजों में संदर्भनहेतु हेतु एम्बुलेंस (102 एवं ALS) का प्रयोग सुनिश्चित करें संदर्भन पूर्व शिशु को स्थिर करें (check for hypothermia, hypoglycemia, hypoxia)

09– कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –

सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव एवं विद्युत आपूर्ति, महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह इकाईयां चिकित्सालय का अभिन्न अंग है। अतः विद्युत वायरिंग अर्थिंग मानक के अनुसार पूर्ण करने तथा इन इकाईयों में आग से सुरक्षा के इन्तजाम सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व चिकित्सालय प्रशासन/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, नोडल अधिकारी, का होगा। इस हेतु विभागीय इन्जीनियर का सहयोग लेने का कष्ट करें। **प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, नोडल अधिकारी द्वारा दैनिक आनलाईन रिर्पोटिगं कराया जाना सुनिश्चित करें।** एस0एन0सी0यू0 की भौतिक प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा वांछित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 25 तारीख तक महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के ई–मेल sncureportup@gmail.com पर **संलग्न प्रारूप** पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि अपने जनपद में प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 से समन्वय करते हुये समय से धनराशि अवमुक्त करने की समस्त आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें। प्रयास करें कि एस0एन0सी0यू0 के क्रियाशीलता में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। अन्य किसी जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

16/8

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2017–18/ दिनांक /08/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,** सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0, लखनऊ।
3. **महानिदेशक, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4. **सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
5. **सम्बन्धित ज़िलाधिकारी**/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. **संयुक्त निदेशक,** आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. **प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय,** जनपद–आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, अजमगढ़, बागपत, बहराईच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबकीं, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झाँसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, मा0 कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेन्टर **कानपुर नगर**, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, वीरांगना अवंती बाई महिला चिकित्सालय, गोलागंज **लखनऊ,** वीरांगना झलकारी बाई महिला चिकित्सालय **लखनऊ,** डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय, **लखनऊ,** लोकबन्धु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय **लखनऊ**, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संतकबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी को इस आश्य के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8. **सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय,** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
9. **ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ,** बी–3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

SNCU Operational Cost, Data Management & HR Funds allocation 2017-18

S.N.	Name of District	S.N.	Name of SNCU Unit	No. of beds	Operational Cost	SNCU Data Management & Printing cost for SNCU stationery and case recording format @ Rs.160000/-SNCU	Pediatrician No. Existing @ 78650/month for 4 Months	Pediatrician No. New Peadiatrician Honorarium @ Rs.71500/- p.m. for 3 months	Pediatrician Amount Total Honorarium of Old & New Peaditrician	Staff Nurse No. old Staff Nurse Honorarium @ Rs.20012/- p.m. for 4 months	Staff Nurse No. New Staff Nurse Honorarium @ Rs.18150/- p.m. for 4 months	Staff Nurse Amount Total Staff Nurse Honrarium	Data Entry Operator No. DEO Honorarium@Rs.12000/- p.m. for 4 months	Data Entry Operator Amount Total Honorarium of Data Entry Operator	Cleaner/ Ward Ayah/Security Guard No. No. CL/WA for 4 months	Cleaner/ Ward Ayah/Security Guard Amount Total Honorarium @ Rs. 7500/month for 4 months	Cleaner/ Ward Ayah/Security Guard No. No. of Security Guard	Cleaner/ Ward Ayah/Security Guard Amount Security Guard @ 7500/month for 4 months	Total fund Released to DHS (Amount in Rs)
			FMR Code		A.2.2.1	A.2.2.1.1	B.30.9.1			B.30.9.3			B.30.9.4		B.30.9.4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Agra	1	Agra DWH	12	250000	160000	0	3	643500	0	8	580800	1	48000	6	180000	3	90000	1952300
2	Aligarh	2	Aligarh DWH	12	300000	160000	2	1	843700	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2262084
3	Allahabad	3	Allahabad DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
4	Ambedkar Nagar	4	Ambedkar Nagar DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
5	Amroha (JP Nagar)	5	Amroha DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
6	Azamgarh	6	Azamgarh DWH	12	300000	0	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	1901884
7	Baghpat	7	Baghpat DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
8	Bahraich	8	Bahraich DWH	4	100000	160000	0	3	643500	3	5	603144	1	48000	6	180000	3	90000	1824644
9	Ballia	9	Ballia DWH	12	300000	160000	1	2	743600	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2161984
10	Balrampur	10	Balrampur DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
11	Banda	11	Banda DWH	14	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
12	Barabanki	12	Barabanki DWH	12	250000	160000	0	3	643500	0	8	580800	1	48000	6	180000	3	90000	1952300
13	Basti	13	Basti DWH	12	300000	0	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	1901884
14	Bijnor	14	Bijnor DWH	12	250000	160000	0	3	643500	0	8	580800	1	48000	6	180000	3	90000	1952300

S.N.	Name of District	S.N.	Name of SNCU Unit	No. of beds	SNCU Operational Cost, Data Management & HR Funds allocation 2017-18															Total fund Released to DHS (Amount in Rs)
					Operational Cost	SNCU Data Management & Printing cost for SNCU stationery and case recording format @ Rs.160000/-SNCU	Pediatrician			Staff Nurse			Data Entry Operator		Cleaner/ Ward Ayah/Security Guard				
							No.	No.	Amount	No.	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	
							Existing @ 78650/month for 4 Months	New Peadiatrician Honorarium @ Rs.71500/- p.m. for 3 months	Total Honorarium of Old & New Peaditrician	old Staff Nurse Honorarium @ Rs.20012/- p.m. for 4 months	New Staff Nurse Honorarium @ Rs.18150/- p.m. for 4 months	Total Staff Nurse Honrarium	DEO Honorarium@Rs.12000/- p.m. for 4 months	Total Honorarium of Data Entry Operator	No. CL/WA for 4 months	Total Honorarium @ Rs. 7500/month for 4 months	No. of Security Guard	Security Guard @ 7500/month for 4 months	
			FMR Code		A.2.2.1	A.2.2.1.1	B.30.9.1			B.30.9.3			B.30.9.4		B.30.9.4				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	
15	Budaun	15	Badaun DWH	12	300000	160000	1	2	743600	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2161984
16	Bulandshahar	16	Bulandshahar DWH	8	200000	160000	1	2	743600	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061984
17	Chandauli	17	Chandauli DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
18	Chitrakoot	18	Chitrakoot DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
19	Deoria	19	Deoria DWH	12	300000	0	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	1901884
20	Etawah	20	Etawah DWH	8	300000	160000	1	2	743600	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2161984
21	Faizabad	21	Faizabad DWH	12	300000	0	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	1901884
22	Farukkhabad	22	Farrukhabad DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
23	Firozabad	23	Ferozabad DWH	12	300000	0	1	2	743600	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2001984
24	Ghaziabad	24	Ghaziabad DWH	12	300000	160000	1	2	743600	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2161984
25	Ghazipur	25	Ghazipur DWH	12	250000	160000	0	3	643500	0	8	580800	1	48000	6	180000	3	90000	1952300
26	Gonda	26	Gonda DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
27	Gorakhpur	27	Gorakhpur DWH	12	250000	0	0	3	643500	0	8	580800	1	48000	6	180000	3	90000	1792300
28	Hamirpur	28	Hamirpur DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884

S.N.	Name of District	S.N.	Name of SNCU Unit	No. of beds	SNCU Operational Cost, Data Management & HR Funds allocation 2017-18														Total fund Released to DHS (Amount in Rs)
					Operational Cost	SNCU Data Management & Printing cost for SNCU stationery and case recording format @ Rs.160000/-SNCU	Pediatrician			Staff Nurse			Data Entry Operator		Cleaner/ Ward Ayah/Security Guard				
							No.	No.	Amount	No.	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	
							Existing @ 78650/month for 4 Months	New Peadiatrician Honorarium @ Rs.71500/- p.m. for 3 months	Total Honorarium of Old & New Peaditrician	old Staff Nurse Honorarium @ Rs.20012/- p.m. for 4 months	New Staff Nurse Honorarium @ Rs.18150/- p.m. for 4 months	Total Staff Nurse Honrarium	DEO Honorarium@Rs.12000/- p.m. for 4 months	Total Honorarium of Data Entry Operator	No. CL/WA for 4 months	Total Honorarium @ Rs. 7500/month for 4 months	No. of Security Guard	Security Guard @ 7500/month for 4 months	
			FMR Code		A.2.2.1	A.2.2.1.1	B.30.9.1			B.30.9.3			B.30.9.4		B.30.9.4				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	
29	Hardoi	29	Hardoi DWH	12	250000	160000	0	3	643500	0	8	580800	1	48000	6	180000	3	90000	1952300
30	Hathras	30	Hathrus DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
31	Jalaun	31	Jalaun DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
32	Jaunpur	32	Jaunpur DWH	12	250000	160000	0	3	643500	0	8	580800	1	48000	6	180000	3	90000	1952300
33	Jhansi	33	DWH Jhansi	12	300000	0	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	1901884
34	Kannauj	34	Kannoj DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
35	Kanpur Dehat	35	Kanpur Dehat DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
36	Kanpur Nagar	36	Kanpur Nagar DWH	12	300000	160000	2	1	843700	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2262084
		37	Kanpur Kanshiram Hosp.	12	250000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2011884
37	Kaushambi	38	Kaushambi DWH	12	250000	0	2	1	843700	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2052084
38	Kushi Nagar (Padrauna)	39	Kushi Nagar DWH	12	250000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2011884
39	Lakhimpur Kheri	40	Lakhimpur Khiri DWH	8	250000	160000	1	2	743600	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2111984
40	Lalitpur	41	Lalitpur DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884

SNCU Operational Cost, Data Management & HR Funds allocation 2017-18

S.N.	Name of District	S.N.	Name of SNCU Unit	No. of beds	Operational Cost	SNCU Data Management & Printing cost for SNCU stationery and case recording format @ Rs.160000/-SNCU	Pediatrician: No. – Existing @ 78650/month for 4 Months	Pediatrician: No. – New Peadiatrician Honorarium @ Rs.71500/- p.m. for 3 months	Pediatrician: Amount – Total Honorarium of Old & New Peaditrician	Staff Nurse: No. – old Staff Nurse Honorarium @ Rs.20012/- p.m. for 4 months	Staff Nurse: No. – New Staff Nurse Honorarium @ Rs.18150/- p.m. for 4 months	Staff Nurse: Amount – Total Staff Nurse Honrarium	Data Entry Operator: No. – DEO Honorarium@Rs.12000/- p.m. for 4 months	Data Entry Operator: Amount – Total Honorarium of Data Entry Operator	Cleaner/ Ward Ayah/Security Guard: No. – No. CL/WA for 4 months	Cleaner/ Ward Ayah/Security Guard: Amount – Total Honorarium @ Rs. 7500/month for 4 months	Cleaner/ Ward Ayah/Security Guard: No. – No. of Security Guard	Cleaner/ Ward Ayah/Security Guard: Amount – Security Guard @ 7500/month for 4 months	Total fund Released to DHS (Amount in Rs)
			FMR Code		A.2.2.1	A.2.2.1.1	B.30.9.1			B.30.9.3			B.30.9.4		B.30.9.4				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	
41	Lucknow	42	Lucknow VABH	12	400000	160000	3	0	943800	8	4	930784	1	48000	6	180000	3	90000	2752584
		43	Lucknow VJBH	12	300000	160000	2	1	843700	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2262084
		44	Lucknow RML	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
		45	Lucknow LBRN	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
42	Maharajganj	46	Maharajganj DWH	12	300000	0	1	2	743600	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2001984
43	Mahoba	47	Mahoba DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
44	Mainpuri	48	Mainpuri DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
45	Mathura	49	Mathura DWH	12	300000	160000	1	2	743600	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2161984
46	Mau	50	Mau DWH	12	250000	160000	0	3	643500	0	8	580800	1	48000	6	180000	3	90000	1952300
47	Meerut	51	Meerut DWH	10	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
48	Mirzapur	52	Mirzapur DWH	12	300000	160000	1	2	743600	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2161984
49	Moradabad	53	Moradabad DWH	14	300000	160000	2	1	843700	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2262084
50	Muzaffar Nagar	54	Muzaffarnagar DWH	12	300000	0	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	1901884
51	Pilibhit	55	Pilibhit DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884

An

SNCU Operational Cost, Data Management & HR Funds allocation 2017-18

S.N.	Name of District	S.N.	Name of SNCU Unit	No. of beds	Operational Cost	SNCU Data Management & Printing cost for SNCU stationery and case recording format @ Rs.160000/-SNCU	Pediatrician No. Existing @ 78650/month for 4 Months	Pediatrician No. New Peadiatrician Honorarium @ Rs.71500/- p.m. for 3 months	Pediatrician Amount Total Honorarium of Old & New Peaditrician	Staff Nurse No. old Staff Nurse Honorarium @ Rs.20012/- p.m. for 4 months	Staff Nurse No. New Staff Nurse Honorarium @ Rs.18150/- p.m. for 4 months	Staff Nurse Amount Total Staff Nurse Honrarium	Data Entry Operator No. DEO Honorarium@Rs.12000/- p.m. for 4 months	Data Entry Operator Amount Total Honorarium of Data Entry Operator	Cleaner/ Ward Ayah/Security Guard No. No. CL/WA for 4 months	Cleaner/ Ward Ayah/Security Guard Amount Total Honorarium @ Rs. 7500/month for 4 months	Cleaner/ Ward Ayah/Security Guard No. No. of Security Guard	Cleaner/ Ward Ayah/Security Guard Amount Security Guard @ 7500/month for 4 months	Total fund Released to DHS (Amount in Rs)
			FMR Code		A.2.2.1	A.2.2.1.1	B.30.9.1			B.30.9.3			B.30.9.4		B.30.9.4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
52	Pratapgarh	56	Pratapgarh DWH	12	300000	160000	2	1	843700	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2262084
53	Raebareli	57	Raibarelly DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
54	Rampur	58	Rampur DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
55	Saharanpur	59	Saharanpur DWH	14	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
56	Sant Kabir Nagar	60	Santkabir Nagar DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
57	Shahjahanpur	61	Shajhanpur DWH	16	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
58	Shravasti	62	Shrawasti DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
59	Siddharth Nagar	63	Siddharthanagar DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
60	Sitapur	64	Sitapur DWH	12	300000	0	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	1901884
61	Sonbhadra	65	Sonebhadra DWH	12	300000	0	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	1901884
62	Sultanpur	66	Sultanpur DWH	12	250000	160000	0	3	643500	0	8	580800	1	48000	6	180000	3	90000	1952300
63	Unnao	67	Unnao DWH	12	300000	160000	0	3	643500	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2061884
64	Varanasi	68	Varanasi DWH	6	300000	160000	2	1	843700	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	2262084
Grand Total (in Rs.)				798	19550000	8960000	27	177	46460700	467	81	43263016	68	3264000	408	12240000	204	6120000	139857716
Total Funds Released to DHS					195.50	89.60	204		464.61	548		432.63	78	32.64	468	122.40	234	61.20	1398.58

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बिजनौर, बदांयू, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झाँसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संतकबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2017–18 / **दिनांक 25 / 08 / 2017**

विषय–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालयों में एस0एन0सी0यू0 को क्रियाशील बनाये रखने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्‌देश्य से प्रदेश के चयनित जनपदों के जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालयों में सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) चरणवद्ध रूप से क्रियाशील की गयी हैं। यह इकाईयां चिकित्सालयों का अभिन्न अंग है।

इसी क्रम में **इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2016–17 / 6209–18, दिनांक 07.10.2016 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2016–17 / 6210–46, दिनांक 07.10.2016** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्रों के माध्यम से सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) के संचालन हेतु आपरेशनल कास्ट, एस0एन0 सी0यू0, डाटा मैनेजमेन्ट एवं संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गये थे।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 में सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) को क्रियाशील बनाये रखने हेतु आपरेशनल कास्ट, एस0एन0सी0यू0, डाटा मैनेजमेन्ट एवं मानव संसाधन के मानदेय के लिए **अनुमोदित धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार जनपदो की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है।**

<u>वित्त पोषण</u>

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 में स्वीकृत की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाये।

<u>01–ऑपरेशनल कॉस्ट–</u>

FMR Code-A.2.2.1 पर ऑपरेशनल कॉस्ट की धनराशि का **60 प्रतिशत** औषधियों, कन्जूमेबिल्स, डायपर, न्यूट्रीशनल सप्लीमेन्ट के रूप में उपयोग किये जाने हेतु शिशु मिल्क पाउडर (**<u>Govt. of india FBNC Operational Guidelines के अनुसार</u>**) कंगारू मदर केयर (KMC) इकाई हेतु आवश्यक सामग्री आदि **तथा 40 प्रतिशत धनराशि से** ए0एम0सी0 एवं उपकरणों के अनुरक्षण एवं इकाई को क्रियाशील बनाये रखने हेतु छोटे–मोटे उपकरण के क्रय एवं अन्य आवश्यक सामग्री **<u>एस0एन0सी0यू0 इन्चार्ज की आवश्यकतानुसार</u>** क्रय किये जायें **प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका** द्वारा बिना इनकी लिखित परामर्श के धनराशि का उपयोग न किया जाये। ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।**

02– एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट

FMR Code-A.2.2.1.1 पर **एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट** हेतु क्रियाशील/क्रियाशील की जा रही 56 इकाईयों में एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट हेतु प्रति इकाई हेतु रू0 1,60,000/– प्रति इकाई की दर से स्वीकृत की गयी है एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।**

- **एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट गतिविधि** हेतु प्रति इकाई हेतु रू0 60,000/– की धनराशि के अनुसार जिसे कम्प्यूटर सम्बन्धी स्टेशनरी, प्रिन्टर कार्टेज, पेपर रिम, इन्टरनेट एवं मोबाइल का मासिक व्यय कम्प्यूटर प्रिन्टर का रख–रखाव की व्यवस्था इत्यादि हेतु व्यय किया जायेगा।
- **एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट गतिविधि** हेतु Printing cost for SNCU stationery & Case Recording format हेतु रू0 1,00,000/– की धनराशि प्रति इकाई के अनुसार अवमुक्त की जा रही है। इस धनराशि से इकाई में मरीजों के उपयोग होने वाले प्रपत्र जैसे Case Record, Monitoring sheet/ treatment & discharge भारत सरकार से प्राप्त प्रपत्र के अनुसार प्रिन्ट कराने के लिये उपयोग की जायेगी।
- **इकाई के अभिलेखों का रखरखाव एवं रिपोर्टिगं–**

❖ एस0एन0सी0यू0 से शिशु की जाने पर यथा परिस्थिति अभिलेख दिये जायें। जैसे छुट्टी पर डिस्चार्ज कार्ड, संदर्भन पर रेफरल स्लिप, मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र एवं लामा (LAMA) होने पर लामा कार्ड (डिस्चार्ज कार्ड पर ही ऊपर लामा कार्ड लिखा जाये) देना सुनिश्चित करें।

❖ एस0एन0सी0यू0 में एक मोबाइल की व्यवस्था रखे जिसका नंबर सिटीजन चार्टर (Citizen charter) पर अंकित रहे छुट्टी उपरान्त यही नंबर शिशु के छुट्टी कार्ड पर लिखा जाये ताकि आवश्यकता पड़ने पर एस0एन0सी0यू0 में फोन कर सके। यही नंबर स्थानीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों, ए0एन0एम0 एवं आशाओं को उपलब्ध कराया जाये।

❖ ए0एन0एम0 एवं आशाओं द्वारा संदर्भित शिशु की समस्त सूचना एवं रिकॉर्ड, एस0एन0सी0यू0 में भर्ती रजिस्टर में रखा जाये। जिसे रजिस्टर के कॉलम नंबर 12 (Name of ASHA/ANM with Contact details) में अंकित किये जाये।

03– मानव संसाधन–

- एस0एन0सी0यू0 में **FMR Code-B.30.9.1 पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय के संविदा बालरोग विशेषज्ञों–एम0डी0–पिडियाट्रिक्स/डी0सी0एच0** हेतु प्रति इकाई 03 **बालरोग विशेषज्ञ पूर्व से कार्यरत 27 बालरोग विशेषज्ञों का मानदेय** प्रति **बालरोग विशेषज्ञ** को रू0 78650/– प्रतिमाह की दर से 04 माह का मानदेय तथा शेष 177 **बालरोग विशेषज्ञों के रिक्त पदों हेतु, प्रति बालरोग विशेषज्ञ को रू0 71500/– प्रति माह की दर से 03 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। बालरोग विशेषज्ञों के मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।**
- एस0एन0सी0यू0 में **FMR Code-B.30.9.3** पर **जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में संविदा** स्टॉफ नर्स **प्रति इकाई 8 स्टाफ नर्स,** पूर्व से कार्यरत 467 स्टाफ नर्सों का मानदेय प्रति स्टाफ नर्स को **रू0 20012/–** प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय **तथा शेष 81** स्टाफ नर्सों को प्रति स्टाफ नर्स को **रू0 18150/–** प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। स्टाफ नर्सों के मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।**
- एस0एन0सी0यू0 में **FMR Code-B.30.9.4** पर **जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में डाटा इन्ट्री आपरेटर– (आउट सोर्सिगं के माध्यम से) प्रति इकाई 1 डाटा इन्ट्री आपरेटर, 68** डाटा इन्ट्री आपरेटर **के** मानदेय, प्रति डाटा इन्ट्री आपरेटर को रू0 12000/– प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। डाटा इन्ट्री आपरेटर के मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।**

- एस0एन0सी0यू0 में **FMR Code-B.30.9.4 पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में सफाई कर्मी/वार्ड आया (आउट सोर्सिगं के माध्यम से) प्रति इकाई 03 वार्ड आय एवं 03 सफाई कर्मी पदों** हेतु 204 सफाई कर्मी एवं 204 वार्ड आया, प्रति वार्ड आया/सफाई कर्मी को रू0 7500/– प्रतिमाह की दर से 04 माह का मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। वार्ड आय एवं सफाई कर्मी के मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।**
- एस0एन0सी0यू0 में **FMR Code-B.30.9.4 पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में सिक्युरटी गार्ड (आउट सोर्सिगं के माध्यम से) प्रति इकाई 03** सिक्युरटी गार्ड के 204 सिक्युरटी गार्ड के पदों हेतु प्रति सिक्युरटी गार्ड को रू0 7500/– प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। सिक्युरटी गार्ड के मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी**

मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवटिंत धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों को अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।

नोटः–

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये **प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय,** एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0 एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि

समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

04– संविदा मानव संसाधन हेतु निर्देश–

- ❖ **एस0एन0सी0यू0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाय।** यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित **प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका**/नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- ❖ एस0एन0सी0यू0 पर तैनात स्टाफ नर्सों एवं पीडियाट्रीशिन, जिन्होंने पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, को 4 दिवसीय फेसिलटीबेस्ड न्यूबोर्न केयर (FBNC) प्रशिक्षण तदोपरान्त 12 कार्य दिवसीय Observership-FBNC प्रशिक्षण कलावती सरण चिल्ड्रेन हॉस्पिटल दिल्ली/अन्य समकक्ष चिन्हित चिकित्सालय में दिया जाना प्रस्तावित है।
- ❖ यह प्रशिक्षण स्टाफ नर्सों एवं पीडियाट्रीशिन को प्राप्त करना अनिवार्य है। जब प्रशिक्षण हेतु पत्र राज्य स्तर से भेजा जायेगा, स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करना होगा। नामांकन आदेश के उपरान्त यदि स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे **तो ऐसी स्थिति में शासनादेश सख्या–3033/सेक–2– पांच–14–7(56)/14 T.C., दिनांक 09.10.2014 के संदर्भ में उस अवधि का वेतन रोका जा सकता है।**
- ❖ **यह सुनिश्चित किया जाय कि स्टाफ नर्स/चिकित्सक अपने ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस में कार्य करें।**

05– प्रसव कक्ष में बालरोग बिशेषज्ञ/नोडल अधिकारी एस0एन0सी0यू0 के दायित्व–

- ❖ न्यूबोर्न केयर कार्नर की क्रियाशीलता सुनिश्चित करना।
- ❖ चिकित्सालय में जन्मे सभी शिशुओं की 01 घंटे के भीतर वजन एवं Inj. Vit K लगवाना।
- ❖ सभी जन्मे शिशुओं को 01 घंटे के भीतर स्तनपान करवाना।
- ❖ सभी जन्मे शिशुओं की 24 घंटे के भीतर स्क्रीनिंग (for birth defects and anthropometry) हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/आर0बी0एस0के0/01/2016–17/10740–8, दिनांक 14.03.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
- ❖ समय समय पर समस्त लेबर रूम स्टाफ की क्षमतावृद्धि हेतु Essential Newborn care/NSSK के सम्बन्ध में ओरिएंटेशन करना।

06– डाटा इन्ट्री आपरेटर के कार्य एवं दायित्व–

- ❖ भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद के जिला महिला चिकित्सालय में संचालित सिक न्यूबोर्न इकाईयों (SNCUs) में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा यदि जनपद के जिला पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय में पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRCs) संचालित है तो इस इकाई की रिपोर्टिगं का भी कार्य किया जायेगा तथा Data की online फीडिगं करेगें तथा इकाई की Database का रखरखाव, इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों की इकाईयों में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर सहयोग प्रदान करेगें एवं समय–समय पर राज्य स्तर से जारी निर्देशानुसार कार्य करेंगे।
- ❖ **डाटा इन्ट्री आपरेटर से एस0एन0सी0यू0 एवं एन0आर0सी0 इकाई मे ही कार्य लिया जाये एवं अन्य कार्यों से विमुक्त रखा जाये।**

07– सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) के संविदा मानव संसाधन के भर्ती/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्देश–

- **वित्तीय वर्ष 2017–18 में एस0एन0सी0यू0 में बालरोग विशेषज्ञों एवं स्टाफ नर्सों के रिक्त पदों की भर्ती हेतु मानव संसाधन अनुभाग, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार नियुक्ति की जायेगी।**

- **<u>डाटाइन्ट्री आपरेटर (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)</u>**– भारत सरकार द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में डाटा इन्ट्री आपरेटर के रिक्त पद पर आउट सोर्सिगं के माध्यम से रखे जाने है। डाटा इन्ट्री आपरेटर का मानदेय रू0 12000/– प्रति माह की दर से देय होगा। जिसकी शैक्षिक योग्यता स्नातक पास एवं कम्प्यूटर में ओ0–लेवल डिप्लोमा या एक वर्षीय कम्प्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र (one year certificate course computer application or O- Level Computer Diploma) अनिवार्य है, कम से कम दो साल के अनुभव वाले अभ्यार्थी को वरीयता दी जायेगी।
- **<u>सफाई कर्मी/वार्ड आया (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)</u>**– जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) पर सफाई कर्मी/वार्ड आया/सिक्युरटी गार्ड को आउट सोर्सिगं के माध्यम से रखा जायेगा। प्रति इकाई **3** सफाई कर्मी, प्रति इकाई **3** वार्ड आया, प्रति इकाई **3 सिक्युरटी गार्ड** की तैनाती की जायेगी जिनका मानदेय प्रति रू0 7500/– प्रतिमाह की दर से देय होगा।

<u>08– एस0एन0सी0यू0 प्रोटोकाल–</u>

- एस0एन0सी0यू0 में मानकानुसार सेवा उपलब्ध कराने हेतु FBNC operational Guidelines का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
- इकाई में प्राथमिकता के आधार पर Preterm & LBW शिशुओं की भर्ती करें एवं Term शिशु की भर्ती आवश्यकतानुसार करें।
- इकाई में कम से कम 30 प्रतिशत संदर्भित (outborn) बीमार नवजात शिशुओं को भर्ती करें।
- शिशुओं को भर्ती करने के समय ही ID band अवश्य पहनाये।
- एस0एन0सी0यू0 में आवश्यक कंज्यूमेब्लिस की उपलब्धता सुनिश्चित करना नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी की होगी।
- एस0एन0सी0यू0 की सिस्टर इन्चार्ज को एस0एन0सी0यू0 के स्टाफ में से ही एक स्टाफ नर्स को चयनित कर Rotatory basis पर प्रमुख सिस्टर इन्चार्ज के अधीन अपनी कर्तव्य का निवर्हन करेगी।
- डयूटी के समय एस0एन0सी0यू0 स्टाफ अपनी निर्धारित ड्रेस में रहें।
- भर्ती शिशु की देखभाल में माँ को शामिल करने हेतु माँ को समय समय पर एस0एन0सी0यू0 में आने के लिए प्रेरित करें तथा सुनिशचित करे की माँ एस0एन0सी0यू0 में प्रवेश से पूर्व साफ सफाई के मानकों का पूरा ध्यान रखे। (Jewellary removal, hand wash, gowning and use slipper)
- छुटटी से पूर्व शिशु को माँ के साथ कम से कम 24 घंटे हेतु Stepdown बेड में स्थानान्तरित करें Stepdown के लिए उपयुक्त स्थान न होने की दशा में PNC वार्ड में 04 शैय्याओं को को Stepdown हेतु चिन्हित किया जाये निजिता बनाये रखे के लिए स्क्रीन का उपयोग करें।
- सभी स्थिर कम वजन के नवजात शिशुओं दीर्घ अवधि की के0एम0सी0 के लिए प्रेरित करना एवं जानकारी देने का दायित्व एस0एन0सी0यू0 के चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स का है।
- पी0एन0सी0 वार्ड के कम वजन के नवजात शिशुओं को एस0एन0सी0यू0 में भर्ती की आवश्यकता नहीं है, उन नवजात शिशुओं को वार्ड में ही के0एम0सी0 के सम्बन्ध में जानकारी देकर के0एम0सी0 देने में उनकी सहायता करें।
- यदि आपके चिकित्सालय में के0एम0सी0 कक्ष स्थापित नहीं है तो एस0एन0सी0यू0 के निकट ऐसे प्रथक कक्ष या स्थान सुनिशचित करें जहाँ पर निजिता का पूरा ध्यान रखा जा सके।
- बीमार एवं क्रिटिकल शिशु के स्वास्थ्य अनुसार अल्प अवधि के0एम0सी0 शुरू करते हुये धीरे–धीरे दीर्घ अवधि की के0एम0सी0 का लक्ष्य रखे।
- अन्य चिकित्सालयों या मेडिकल कॉलेजों में संदर्भनहेतु हेतु एम्बुलेंस (102 एवं ALS) का प्रयोग सुनिश्चित करें संदर्भन पूर्व शिशु को स्थिर करें (check for hypothermia, hypoglycemia, hypoxia)

09– कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –

सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव एवं विद्युत आपूर्ति, महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह इकाईयां चिकित्सालय का अभिन्न अंग है। अतः विद्युत वायरिंग अर्थिंग मानक के अनुसार पूर्ण करने तथा इन इकाईयों में आग से सुरक्षा के इन्तजाम सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व चिकित्सालय प्रशासन/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, नोडल अधिकारी, का होगा। इस हेतु विभागीय इन्जीनियर का सहयोग लेने का कष्ट करें। **प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, नोडल अधिकारी द्वारा दैनिक आनलाईन रिर्पोटिगं कराया जाना सुनिश्चित करें।** एस0एन0सी0यू0 की भौतिक प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा वांछित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 25 तारीख तक महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के ई–मेल sncureportup@gmail.com पर **संलग्न प्रारूप** पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि अपने जनपद में प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 से समन्वय करते हुये समय से धनराशि अवमुक्त करने की समस्त आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें। प्रयास करें कि एस0एन0सी0यू0 के क्रियाशीलता में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। अन्य किसी जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2017–18/ 5245-64-9 **दिनांक /08/2017**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,** सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0, लखनऊ।
3. **महानिदेशक, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4. **सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
5. **सम्बन्धित ज़िलाधिकारी**/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. **संयुक्त निदेशक,** आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. **प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय,** जनपद–आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, अजमगढ़, बागपत, बहराईच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबकीं, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झाँसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, मा0 कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेन्टर **कानपुर नगर**, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, वीरांगना अवंती बाई महिला चिकित्सालय, गोलागंज **लखनऊ,** वीरांगना झलकारी बाई महिला चिकित्सालय **लखनऊ,** डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय, **लखनऊ,** लोकबन्धु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय **लखनऊ**, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संतकबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी को इस आश्य के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8. **सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय,** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
9. **ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ,** बी–3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य